

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक:- मु०अ०(नि० एवं गु०) जाँच-21-18-2025-913

/पटना, दिनांक:- 03.03.2025

प्रेषक,

डॉ बी० राजेन्दर,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी पदाधिकारी/कर्मचारी,
ग्रामीण कार्य विभाग।

विषय:- सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने हेतु विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को शपथ लेने के संबंध में।

प्रसंग:- मुख्य सचिव, बिहार, पटना का पत्रांक-स०सु०(विज्ञापन)-05/26/2018 परि० (पार्ट)-204 पटना, दिनांक-28.02.2025।

महाशय,


उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुए कहना है कि मुख्य सचिव, बिहार, पटना के द्वारा प्रतिवर्ष 04 मार्च, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस एवं 22 मार्च, बिहार दिवस के अवसर पर सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने का शपथ लेते हुए इसकी फोटो/वीडियो विभाग के वेबसाइट एवं सोशल मीडिया साइट पर अपलोड करने का निदेश प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही विभाग में नवनियुक्त सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों का योगदान के समय सड़क सुरक्षा शपथ पत्र का घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से लिया जाना है।

उपर्युक्त आलोक में परिवहन विभाग द्वारा जारी सड़क सुरक्षा शपथ पत्र की प्रति आपको उपलब्ध करायी जा रही है। निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त प्रासंगिक पत्र का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

अनु०-यथोक्त।

कृपया इसे अतिआवश्यक समझा जाय।


विश्वासभाजन


(डॉ बी० राजेन्दर)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- मु०अ०(नि० एवं गु०) जाँच-21-18-2025-913

पटना/दिनांक-03.03.2025


प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ प्रेषित।


अपर मुख्य सचिव

P.T.O

sec- 87

ज्ञापांक :- मु०अ०(नि० एवं गु०) जाँच-21-18-2025-913 पटना/दिनांक-03.03.2025
प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड
करने हेतु प्रेषित।


अपर मुख्य सचिव

